



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1947 (श10)

(सं0 पटना 229)

पटना, बृहस्पतिवार, 26 फरवरी 2026

सं0 सं0 टी-3/ क्रय निलामी (कंडम) 17/2015-469
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

संकल्प

25 फरवरी 2026

विषय:- श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नाकामयाब मशीनों/स्क्रेप को कंडम घोषित करने हेतु गठित समिति में संशोधन के संबंध में।

श्रम संसाधन विभाग के स्वीकृतादेश सं0-2855 दिनांक-19.09.2016 के द्वारा श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नाकामयाब मशीनों/ स्क्रेप को कंडम घोषित करने एवं निलामी प्रक्रिया एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, भारत सरकार के उपक्रम के माध्यम से ई-ऑक्सन द्वारा करने की स्वीकृति दी गई है।

2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नाकामयाब मशीन/ स्क्रेप को कंडम घोषित करने हेतु समिति निम्न प्रकार गठित है:-

- | | |
|--|--------------|
| (i) क्षेत्रीय उप निदेशक/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी | — अध्यक्ष |
| (ii) संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य | — सदस्य सचिव |
| (iii) निदेशक द्वारा नामित पदाधिकारी | — सदस्य |
| (iv) संबंधित प्रक्षेत्र के कारखाना निरीक्षक | — सदस्य |
| (v) उप प्राचार्य/सहायक अधीक्षक/ मुख्य अनुदेशक अथवा वरीय अनुदेश | — सदस्य |

3. विदित हो कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1569 दिनांक-10.12.2025 द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-45 के बाद एतद् द्वारा नया क्रमांक-46 में “युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग” को जोड़ते हुए अधिसूचित एवं नया विभाग सृजित/गठित किया गया है। निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना पूर्व में श्रम संसाधन विभाग के अधीन था परन्तु नये विभाग के गठन के उपरांत वर्तमान में यह युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत है।

4. नए विभाग के श्रृजन के फलस्वरूप श्रम संसाधन विभाग के स्वीकृतादेश सं०-2855 दिनांक-19.09.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रम संसाधन विभाग के स्थान पर युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग परिवर्तित किया जाता है।

5. शेष अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को प्रकाशित किया जाय और सभी संबंधित को इसकी एक प्रति दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 229-571+200-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>